न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार-I,** (RAS)

राजस्व वाद संख्या :– **136/2020 RCMS 2020/00557**

वादीया

1. झूमरड़ी पुत्री बन्नाराम पत्नि मन्नीराम जाति बलाई निवासी उगरपुरा हाल निवासी आसपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामुराम पुत्र स्व. पेमाराम जाति बलाई
2. लालाराम पुत्र पेमाराम जाति बलाई
3. किशनलाल पुत्र पेमाराम जाति बलाई
4. शोकुरी पुत्री पेमाराम जाति बलाई
5. सुन्दर पुत्री पेमाराम जाति बलाई फौत के कायम मुकाम :–
   5/1– सन्तोष पुत्री सुन्दर पत्नि भीवाराम
   5/2– झुंताराम पुत्र सुन्दर पत्नि भीवाराम
   5/3– रामपाल पुत्र सुन्दर पत्नि भीवाराम
   5/4– बोदुराम पुत्र सुन्दर पत्नि भीवाराम
6. राधा देवी पुत्री पेमाराम जाति बलाई फौत के कायम मुकाम :–
   6/1– सुगना पुत्री राधा पत्नि भंवरलाल जाति बलाई
   6/2– सजना पुत्री राधा पत्नि भंवरलाल जाति बलाई
   6/3– मीरा पुत्री राधा पत्नि भंवरलाल जाति बलाई
   6/4– कमला पुत्री राधा पत्नि भंवरलाल जाति बलाई
   6/5– ग्यारसी पुत्री राधा पत्नि भंवरलाल जाति बलाई
   6/6– हरिराम पुत्र राधा पत्नि भंवरलाल जाति बलाई
7. मोहनीदेवी पुत्री पेमाराम जाति बलाई निवासी उगरपुरा हाल निवासी ग्राम श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी
8. उप पंजियक कुचामनसिटी
9. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा :– खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T.Act 1955

प्रार्थना–पत्र– अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 C.P.C. दिनॉक 15.07.2024

उपस्थित :– श्री पुष्पेन्द्रसिंह मेड़तिया अधिवक्ता वादीया की ओर से।
श्री रमेश चौधरी अधिवक्ता ... 1 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:43:20 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनॉक 27/11/2024

प्रतिवादी रामूराम एवं उनके अधिवक्ता की ओर से दिनॉक 15.07.2023 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 **Rule** 11 **CPC** के तहत मय शपथ–पत्र प्रस्तुत हुआ। जिसमें प्रतिवादी रामूराम ने कथन किया है कि उक्त प्रकरण में वर्णित भूमि कभी भी वादीया एवं उसके पिता व दादा के नाम खातेदारी अधिकार में नही रही है जिसके आधार पर वादी का उक्त भूमि में कोई

उपखण्ड अधिकारी
(डीडवाना-कुचामन)

हक उत्पन्न हो, उक्त वाद पत्र बिना किसी साक्ष्य दस्तावेजो के आधारहीन व मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जिससे न्यायालय का समय बर्बाद किया जा रहा है तथा वाद पत्र प्रथम दृष्टया काबिल खारिज योग्य है, विधि अनुसार कोई भी वादपत्र केवल मात्र वादी की मौखिक कहानी पर पेश किया जाकर प्रतिवादीगण का उत्पीड़न नही किया जा सकता है अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर वाद को खारिज किया जाए।

वादीया की ओर से प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि कुचामनसिटी के नवीन खसरा नम्बर 1037, 1038, 1039 में से अपने सम्पूर्ण हिस्से की वसीयत स्व. जेतारम द्वारा दिनॉक 06.12.1993 को वादीया के पक्ष में पेश कर दी थी, जेताराम की मृत्यु के बाद वादग्रस्त खसरान में स्व. जेताराम के हक हिस्से की भूमि की वसीयत अनुसार वादीया खातेदार काश्तकार धारा 39 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत हो गई थी तथा प्रार्थी प्रतिवादी के पिता स्व. पेमाराम ने बाले बाले राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो से मिलकर स्व. जेताराम का एक मात्र वारिस बताकर एक अवैध नामान्तरकरण सं. 247 अपने नाम करवा लिया था, उपरोक्त कारणवश वादीया को मजबूर होकर यह वादपत्र पेश करना लाजमी हुआ है, वादीया के वाद पत्र को न्यायालय को सुनने को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। पैरा सं. 1 मे वर्णित तथ्य व आधार आदेश 07 नियम 11 की परिधि में नही आते है इसलिए प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही होने से काबिल खारिज किए जाने योग्य है, प्रार्थना–पत्र का पैरा संख्या 02 बेबुनियादी व गलत तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है वादी का वाद पत्र सुदृढ़ तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है तथा प्रतिवादीगण को उत्पीड़ित करने के लिए पेश नही किया है प्रार्थी ऐसे अनर्गल प्रार्थना–पत्र पेश कर वाद की कार्यवाही में देरी करना चाहता है इसलिए यह प्रार्थना–पत्र काबिल खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 C.P.C. दिनॉक 15.07.2024 पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दोनो पक्षो में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं जवाब पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी रामूराम की ओर से जवाब दावा 18.10.2024 को प्रस्तुत किया गया है, जो शामिल मिसल उपलब्ध है। जमाबंदी नकल सम्वत 2075–2078 ग्राम श्रवणपुरा के खाता सं. 60 खसरा नम्बर 631/393 रकबा 1.62 हैक्टर में किशनलाल पुत्र प्रेमाराम हिस्सा 1/8 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार, रामूराम पुत्र प्रेमाराम हिस्सा 3/4 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार, लालाराम पुत्र प्रेमाराम हिस्सा 1/8 जाति मेघवाला सा. देह खातेदार दर्ज है। ग्राम श्रवणपुरा के खाता संख्या 61 खसरा नम्बर 412, 414, 415, 733/687 कुल रकबा 2.12 हैक्टर में किशनलाल पुत्र प्रेमाराम हिस्सा 1/8 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार, रामूराम पुत्र प्रेमाराम हिस्सा 3/4 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार, लालाराम पुत्र प्रेमाराम हिस्सा 1/8 जाति मेघवाला सा. देह खातेदार दर्ज है। ग्राम श्रवणपुरा के खाता सं. 86 खसरा नम्बर 391, 392 कुल रकबा [illegible] हैक्टर में किशनलाल रामूराम लालाराम पि. प्रेमाराम जाति मेघवंशी सा. देह [illegible] खातेदार के साथ संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज है। ग्राम कुचामनसिटी की जमाबंदी [illegible] सम्वत 2074–2077 खाता सं. 1021 खसरा नम्बर 1039 रकबा 2.0421 हैक्टर नगरपालिका कुचामनसिटी हिस्सा पूर्ण कुचामनसिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:43:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

संस्था के लिए दर्ज है। कुचामनसिटी के खाता सं. 919 खसरा नम्बर 1037, 1038 कुल रकबा 0.06 हैक्टर किशनलाल लालाराम रामूराम पुत्र पेमा जाति भांबी सा. देह खातेदार अन्य सहखातेदारो के नाम दर्ज है। वादीया द्वारा वाद पत्र में अंकित सजरा खानदान अनुसार वादग्रस्त भूमि इनके वंशज जोधाराम के नाम दर्ज रही है तथा उनके पुत्र बन्नाराम जेठा उर्फ जेताराम एवं पेमाराम के कब्जे अधिकार में चलती आ रही थी जिसका हासल जागीरदारो को अदा करते आ रहे थे, पेमाराम द्वारा उपरोक्त भूमि गलत रूप से केवल अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली गई थी, जेठा उर्फ जेताराम नाऔलाद फौत हो चुके थे तथा वादीया के पिता बन्नाराम के फौत होने पर उसके स्थान पर वादीया काबिज चली आई।

प्रस्तुत प्रकरण में दोनो पक्षो द्वारा पत्रावली में पेश दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उपरोक्त भूमि में कभी भी वादी या वादी के पिता व वादी के दादा के नाम खातेदारी अधिकार में रही हो के संबंध में काई भी दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। वादी जिन दस्तावेजों के अधार पर वाद लेकर आया अथवा दस्तावेजों पर निर्भर करता है। उनकी अनुपलब्धता के कारण वाद हैतुक उत्पन्न नहीं होना प्रतीत होता है।

अतः प्रतिवादी संख्या 01 रामूराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आर्डर 07 रूल्स 11 सी.पी.सी. दिनॉक 15.07.2024 स्वीकार किये जाने योग्य पाया गया।

आदेश

अतः प्रतिवादी संख्या 1 रामूराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आर्डर 07 रूल्स 11 सी.पी.सी. दिनॉक 15.07.2024 स्वीकार कर मूल वाद संख्या 136/2020 झूमरड़ी बनाम रामूराम खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनॉक 27/11/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार-I,)
उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी,
जिला–(डीडवाना–कुचामन)
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:43:20 IST
Reason: SelfAttested